

विचार बिन्दु

अवसर तो सभी को जिंदगी में मिलते हैं किंतु उनका सही वक्त पर सही तरीके से इस्तेमाल कितने कर पाते हैं?

-संतोष गोयल

हमारे पंच परमेश्वर कितने परमेश्वर हैं?

लो

केंद्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारकेवं विचारक भाई दुर्गादास जी द्वारा लिखित पुस्तक "अपने धूमन्तु" पढ़ने ने पर भारतीय संस्कृति के पुण्यथात् पुरुषों समूह के बारे में जो जानकारी प्राप्त हुई, मैं स्वबृह रह गया। जन समूह भी छोटा-मोटा नहीं अपितु जिनकी संख्या करोड़ों में होते हुए भी समाज, सकारा और मीडिया की नज़रों से ओझल है। शिक्षा, स्वास्थ्य और मकान जैसी प्राथमिक मानवीय अवश्यकताओं से वेचित रहने के बावजूद हमारी परम्पराओं और संस्कृति का संरक्षण एक प्राकृतिक कारण है। इस समूह का विचार होकर वह समूचे विश्व के समूचे ब्रह्मांड का पहुंचता है। निश्चय ही समस्त जीव जगत ही नहीं निजीजीव जगत से भी मानव को सामंजस्य बैठाना पड़ता है। प्रकृति के साथ हमारा सामंजस्य विवाह होते हुए उसके पांच मूलभूत तत्वों के साथ समाजांनन न होने पर प्रकृति भी रुह हो जाती है और उसके कारण हो रहे हैं प्राकृतिक प्रक्रिया के प्रत्यक्ष दृष्टान्त। हमें पर्यावरण स्वरूप संस्थाएं भी जानी पड़ती हैं। किन्तु जिनके का आशय यह है कि प्रत्येक स्तर पर विवाह हुए भानव ने न्यायिक व्यवस्था का निर्माण किया है। हमारे देश में भी इन्हें विवाहों को निपटने हेतु प्रशासनिक, राजनीतिक व न्यायिक संस्थाएं हैं जिन्हें हम क्रास: कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की सज्जा देते हैं। पटवरी से लेकर मूलभूत सचिव तक प्रत्येक राज्य में प्रशासनिक ढांचा है। एक और संस्था पंचायत ने लेकर पंचायत राज्य मंत्री तक जाती है। स्वाच्छता शासन की भी एक संस्था है जिसमें नगर पालिका विधायिक प्रयास अथवा विकास आयोगोंटा आ जाते हैं। जो इकाइयाँ निवाचन से बनती हैं वे विधायिकों की तरह काम करती हैं। बहरहाल विधायी एवं प्रशासनिक इकाइयों की नीचे के स्तर पर जो अन्तर्वंच वह है उसको भी निवाचन नहीं जा सकता। ऐसा भी नहीं कहा जाना चाहिए कि लोकतंत्र में कोई भी संस्था पूर्णतः स्वतंत्र रूप से काम करती है। इसमें अन्तर्वंच न होने पर किसी भी एक के निकुञ्ज होने की संभाना हो सकती है। राष्ट्रपति हमारे देश में तीनों सेना का मुखिया है, और संसद के निर्णय पर अधिकारी की मोहर लगती है। उच्चतम न्यायालय के मूल्युदंड के निर्णय पर भी भी राष्ट्रपति निर्णय देता है। कार्यपालिका के निर्णय की अपील न्यायपालिका में कोई जाती है। संसद के निर्णय की संवेदन समीक्षा भी उच्चतम न्यायालय करता है।

यह संरूप धूमन्तु इसलिये है कि सभी सरों का निर्णय तथा उनकी अपील व समीक्षा हेतु इकाइयों का प्रावधान है जो निर्णय करती है। लेखक की यह मान्यता है कि जहाँ कहीं बिना निवाचन के जो तंत्र बना है और उसके जिस भी स्तर पर जो अन्तर्वंच है उसको भी निवाचन की जाती है कि वे ईश्वर के नाम पर तथा संविधान के अन्तर्वंच न्याय करें। विधायिकों में ऐसे लोग जो आ जाती हैं जो स्वार्थ की स्वीकृति रखते हैं, कई विधायिकों के बावजूद हमारी परम्पराओं और संस्कृति का विवाह करता है। इसमें अन्तर्वंच नहीं होता है कि अपील न्यायपालिका की तरह अधिकारी की जाती है। राष्ट्रपति हमारे देश में तीनों सेना का मुखिया है, और संसद के निर्णय की संवेदन समीक्षा भी उच्चतम न्यायालय करता है।

सोशल मीडिया को भी भी गैर जिम्मेदार कहा जाता है। लोग न्यायपालिका की आलोचना से बचते हैं क्योंकि न्यायालय की अवमानना का डर रहता है। इसका

यह आशय नहीं हो जाता कि न्यायपालिका को धूम दूध की धूली है। स्वयं मुख्य न्यायाधीश उसकी कभी दर्शा चुके हैं, अतः सोशल मीडिया की चर्चा पर सभी पक्षों को विचार करना चाहिये।

है कि फैसले तो प्रशासनिक कार्यालयों में भी राजस्व और कुछ फौजदारी मामलों के दिये जाते हैं और लाल-लाल निर्णय लिखाने भी पड़ते हैं। न्यायपालिका पर भार अधिक है तो शनिवार की कुछियों की भी काम किया जा सकता है। निश्चय इन में योग्य लिखा जाता है कि व्यक्ति व सूची पूर्ण है उस स्तर पर पंच-सर्वपंच का कार्य कर रहा है। निर्णयकर्ता जो भी पंच-सर्वपंच के बावजूद हमारी परम्पराएँ व स्तर पर संसद है। एक और संस्था पंचायत ने लेकर पंचायत राज्य मंत्री तक जाती है। स्वाच्छता शासन की भी एक संस्था है जिसमें नगर पालिका विधायिक प्रयास अथवा विकास आयोगोंटा आ जाते हैं। जो इकाइयाँ निवाचन से बनती हैं वे विधायिकों की तरह काम करती हैं। बहरहाल विधायी एवं प्रशासनिक इकाइयों की नीचे के स्तर पर जो अन्तर्वंच है उसको भी निवाचन नहीं जा सकता। ऐसा भी नहीं कहा जाना चाहिए कि लोकतंत्र में कोई भी संस्था पूर्णतः स्वतंत्र रूप से काम करती है। इसमें अन्तर्वंच न होने पर किसी भी एक के निकुञ्ज होने की संभाना हो सकती है। राष्ट्रपति हमारे देश में तीनों सेना का मुखिया है, और संसद के निर्णय की संवेदन समीक्षा भी उच्चतम न्यायालय करता है।

यह संरूप धूमन्तु इसलिये है कि जिंदगी को जिंदगी की तरह काम करती है। इसमें अन्य काम करती है और लोकतंत्र के बावजूद हमारी परम्पराएँ व सभी सुविधाएं यथा काना, बांसा, सुरक्षा, भूम्पू वेतन तथा केविनें मंत्री की सुविधा दी जाती है। क्या उसी अनुपात में परिवरण की उपस्थि नहीं की जानी चाहिये। रविवार की और आवश्यक अवकाशों के अलावा 300 दिन कार्य किया जा सकता है। प्रशासनिक तंत्र भी घोषणा इसके प्रथम दृश्य अनावश्यक पाये होते हैं और इन दिनों कई अपाराध बढ़ते हैं। कई बार राजि में न्युनवारी की जाती है, उसकी समीक्षा कर उसकी आवश्यकता निर्धारित की जानी चाहिये। आयु संभावना अधिक है और अन्यजीका से सभी सुविधाएं यथा काना, बांसा, सुरक्षा, भूम्पू वेतन तथा केविनें मंत्री की सुविधा दी जाती है। क्या उसी अनुपात में परिवरण की उपस्थि नहीं की जानी चाहिये। रविवार की और आवश्यक अवकाशों के अलावा 300 दिन कार्य किया जा सकता है। जीवित याचिकाओं को प्रथम दृश्य अनावश्यक पाये होते हैं और इन दिनों कई अपाराध बढ़ते हैं। कई बार राजि में न्युनवारी की जाती है, उसकी समीक्षा कर उसकी आवश्यकता निर्धारित की जानी चाहिये। आयु संभावना अधिक है और अन्यजीका से सभी सुविधाएं यथा काना, बांसा, सुरक्षा, भूम्पू वेतन तथा केविनें मंत्री की सुविधा दी जाती है। क्या उसी अनुपात में परिवरण की उपस्थि नहीं की जानी चाहिये। रविवार की और आवश्यक अवकाशों के अलावा 300 दिन कार्य किया जा सकता है। जीवित याचिकाओं को प्रथम दृश्य अनावश्यक पाये होते हैं और इन दिनों कई अपाराध बढ़ते हैं। कई बार राजि में न्युनवारी की जाती है, उसकी समीक्षा कर उसकी आवश्यकता निर्धारित की जानी चाहिये। आयु संभावना अधिक है और अन्यजीका से सभी सुविधाएं यथा काना, बांसा, सुरक्षा, भूम्पू वेतन तथा केविनें मंत्री की सुविधा दी जाती है। क्या उसी अनुपात में परिवरण की उपस्थि नहीं की जानी चाहिये। रविवार की और आवश्यक अवकाशों के अलावा 300 दिन कार्य किया जा सकता है। जीवित याचिकाओं को प्रथम दृश्य अनावश्यक पाये होते हैं और इन दिनों कई अपाराध बढ़ते हैं। कई बार राजि में न्युनवारी की जाती है, उसकी समीक्षा कर उसकी आवश्यकता निर्धारित की जानी चाहिये। आयु संभावना अधिक है और अन्यजीका से सभी सुविधाएं यथा काना, बांसा, सुरक्षा, भूम्पू वेतन तथा केविनें मंत्री की सुविधा दी जाती है। क्या उसी अनुपात में परिवरण की उपस्थि नहीं की जानी चाहिये। रविवार की और आवश्यक अवकाशों के अलावा 300 दिन कार्य किया जा सकता है। जीवित याचिकाओं को प्रथम दृश्य अनावश्यक पाये होते हैं और इन दिनों कई अपाराध बढ़ते हैं। कई बार राजि में न्युनवारी की जाती है, उसकी समीक्षा कर उसकी आवश्यकता निर्धारित की जानी चाहिये। आयु संभावना अधिक है और अन्यजीका से सभी सुविधाएं यथा काना, बांसा, सुरक्षा, भूम्पू वेतन तथा केविनें मंत्री की सुविधा दी जाती है। क्या उसी अनुपात में परिवरण की उपस्थि नहीं की जानी चाहिये। रविवार की और आवश्यक अवकाशों के अलावा 300 दिन कार्य किया जा सकता है। जीवित याचिकाओं को प्रथम दृश्य अनावश्यक पाये होते हैं और इन दिनों कई अपाराध बढ़ते हैं। कई बार राजि में न्युनवारी की जाती है, उसकी समीक्षा कर उसकी आवश्यकता निर्धारित की जानी चाहिये। आयु संभावना अधिक है और अन्यजीका से सभी सुविधाएं यथा काना, बांसा, सुरक्षा, भूम्पू वेतन तथा केविनें मंत्री की सुविधा दी जाती है। क्या उसी अनुपात में परिवरण की उपस्थि नहीं की जानी चाहिये। रविवार की और आवश्यक अवकाशों के अलावा 300 दिन कार्य किया जा सकता है। जीवित याचिकाओं को प्रथम दृश्य अनावश्यक पाये होते हैं और इन दिनों कई अपाराध बढ़ते हैं। कई बार राजि में न्युनवारी की जाती है, उसकी समीक्षा कर उसकी आवश्यकता निर्धारित की जानी चाहिये। आयु संभावना अधिक है और अन्यजीका से सभी सुविधाएं यथा काना, बांसा, सुरक्षा, भूम्पू वेतन तथा केविनें मंत्री की सुविधा दी जाती है। क्या उसी अनुपात में परिवरण की उपस्थि नहीं की जानी चाहिये। रविवार की और आवश्यक अवकाशों के अलावा 300 दिन कार्य किया जा सकता है। जीवित याचिकाओं को प्रथम दृश्य अनावश्यक पाये होते हैं और इन दिनों कई अपाराध बढ़ते हैं। कई बार राजि में न्युनवारी की जाती है, उसकी समीक्षा कर उसकी आवश्यकता निर्धारित की जानी चाहिये। आयु संभावना अधिक है और अन्यजीका से सभी सुविधाएं यथा काना, बांसा, सुरक्षा, भूम्पू वेतन तथा केविनें मंत्री की सुविधा दी जाती है। क्या उसी अनुपात में परिवरण की उपस्थि नहीं की जानी चाहिये। रविवार की और आवश्यक अवकाशों के अलावा 300 दिन कार्य किया जा सकता है। जीवित याचिकाओं को प्रथम दृश्य अनावश्य